चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार–पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
The Tribune	26.05.2020	04	05-08

State's 1st organic certification agency at Hisar university

Growers relied on expensive third-party certification till now

TRIBUNE NEWS SERVICE

HISAR, MAY 25

The Haryana Government has given its approval to set up the state's first organic certification agency at Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University (CCSHAU). Haryana Organic Certification Agency (HOCA) will start functioning within a month.

In the absence of a government organic certification agency, growers had to rely on third-party certification by private labs or other state agencies till now. Vice-Chancellor KP Singh said both the state government and the university were making efforts to promote organic farming in the state, but due to absence of organic certification, growers were forced to get certification for their produce from outside agencies.

With the setting up of HOCA, farmers will not have to go through the lengthy and costly process, he said. "There will now be no hurdle in marketing and export of organic produce from Haryana, as HOCA will also be equipped with a sophisticated testing laboratory for pesticide residue and nutritional value," he said.

The university has also set up an organic farming centre—Deendayal Upadhyay Centre of Excellence for Organic Farming (DDUCE-OF) — with the Vice-Chancellor as its ex-officio chairperson.

HOW CERTIFICATION WORKS

Vice-Chancellor KP Singh said there were two systems of organic certification. The first, self-certification (participatory guarantee scheme), was not effective for export purposes. The second, third-party certification, which was mostly adopted for export purposes, involved higher cost. The establishment of HOCA will help organic growers of the state obtain third-party certification in a cost-effective manner and enable them to sell their certified produce in the domestic and international markets.

With the setting up of the Haryana Organic Certification Agency, farmers will not have to go through a lengthy and costly process

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक भास्कर	26.05.2020	05	03-06

होका के जरिए होगा हरियाणा में जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण

हरियाणा सरकार ने चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को एजेंसी स्थापित करने की दी अनुमति

भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लेते हुए चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को यह एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। एचएयू के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने बताया कि यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी। विश्वविद्यालय ने होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है और यह सोसायटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में काम करेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष, अध्यक्ष व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के नियंत्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे।

विश्वविद्यालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से होका को मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व प्रदेश से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी। विश्वविद्यालय जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फसलों की सिफारिशें भी तैयार करेगा, जिसके लिए अन्य राज्यों की जैविक फसल सिफारिशों का अवलोकन किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के लिए समग्र जैविक फसल सिफारिशों को किसानों के लिए लागू करेगा। इस तरह जैविक खेती में बीमारी, कीट इत्यादि के सम्बन्ध में आ रही विभिन्न समस्याओं का निवारण हो सकेगा।

ये कार्य किए जाएंगे : हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जैविक खेतों एवं प्रक्रियाओं का प्रमाणन, आमजन के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेतों व जैविक उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण, जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैविक किसानों व उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करना व उनकी क्षमता का निर्माण करना, स्वस्थ, शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य उत्पादन तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करना, उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हों और स्थायी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलने के अलावा उनका शोधन, सत्यापन और संवर्धन करना, जैविक बीज से लेकर जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करना शामिल है।

किसान अपनाते हैं दो प्रणाली : किसान जैविक प्रमाणीकरण की दो प्रणाली अपनाते हैं। इसमें पहली प्रणाली स्व-प्रमाणन प्रणाली होती है जो किसानों की फसल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के लिए प्रभावी नहीं करती। दूसरी प्रणाली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की है, जो ज्यादातर निर्यात के उद्देश्य से अपनायी जाती है। अब किसानों को कम खर्च में जैविक उत्पादकों की लागत प्रभावी बनाने और पारदर्शी तरीके से तीसरे पक्ष का प्रमाणन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अपने उत्पादों को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमाणन के साथ बेच सकेंगे।

परीक्षण सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र साथ मिलकर कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल सकेगा और वे अपने जैविक उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पायेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के लोगों को शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद प्राप्त होंगे और उनका विश्वास प्रदेश के किसानों में बढ़ेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण	26.05.2020	03	02-04

एचएयू में स्थापित होगी प्रदेश की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

जागरण संवाददाता, हिसार : जैविक उत्पादों को सर्टिफाइड करने वाली एजेंसी की अभी तक प्रदेश को जरूरी थी। प्रमाण पत्र न होने के कारण किसान जैविक उत्पादों को एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते थे। इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है। सरकार प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में स्थापित करने जा रही है। यह हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के नाम से जानी जाएगी। सोमवार को एचएयू के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने पत्रकार वार्ता में एजेंसी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस एजेंसी की सरकार ने 19 मई को अनुमति दे दी है। सबकुछ ठीक रहा तो जून में काम भी शुरू कर देंगे। इस एजेंसी को स्थापित करने के लिए डेढ़ वर्ष पहले एचएयू ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था। अब मंजूरी मिलने के बाद जहरमुक्त खेती करने वाले किसानों को अलग पहचान मिलेगी। एजेंसी दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के साथ मिलकर यह सोसाइटी काम करेगी। किसानों को आर्गेनिक क्षेत्र में सही कृषि पद्धति भी बताई जाएगी।

सोसाइटी के तहत काम करेगी होका : हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका), सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी। विश्वविद्यालय ने होका का सोसाइटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है। इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष एचएयू के कुलपति तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के नियंत्रण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। एचएयू ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी।

एचएयू में कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए । • जागरण

किसानों को ये आती थीं समस्याएं

- सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी न होने की वजह से किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं तथा अन्य राज्यों की एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था।
- कई किसान अपने जैविक उत्पाद का परीक्षण नहीं करवा पाते थे।
- जैविक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र न होने के कारण उन्हें अपना जैविक उत्पाद सामान्य श्रेणी के उत्पाद के अनुसार कम मूल्य में बेचना पड़ता था।

- अब इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल पाएगा।
- वह अपने जैविक उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पाएंगे, साथ ही राज्य के नागरिकों को शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद प्राप्त होंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण	26.05.2020	03	02-05

सराहनीय | गेहूं की देशी नस्ल सी-306 से बनी चपाती सुबह से शाम तक रहती हैं नर्म

ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गेहूं की देसी नस्ल

जागरण संवाददाता, हिसार: जहरमुक्त खेती लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, यह सभी जानते हैं। मगर इस खेती को अपनाने वालों की संख्या अभी काफी कम है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इस बार गेहूं के सीजन में गेहूं की देशी नस्ल सी-306 को आर्गेनिक तरीके से उगाया। छह एकड़ में की गई इस किस्म की खेती के काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। फसल तैयार हुई छह एकड़ में 75 क्विंटल इसकी पैदावार हुई। मगर पैदावार से अधिक गेहूं की इस किस्म की न्यूट्रिशन वैल्यू है। खास बात है कि सामान्य गेहूं की बनी रोटी सायं तक बासी जैसी लगने लगती है। मगर इस गेहूं की रोटी शाम तक नर्म रहती है। इसके साथ ही अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस किस्म की बनी चपाती का मेकिंग स्कोर 8 है। जबकि सामान्य गेहूं की रोटी 6 तक ही स्कोर कर पाती है। चपाती मेकिंग स्कोर अधिकतर 10 होता है। जो बताता है कि चपाती कितनी अच्छी है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू किस स्तर की है।

04

हजार रुपये प्रति क्विंटल है इस गेहूं की कीमत

1965 में गेहूं वैज्ञानिक डा. रामधन सिंह ने की थी खोज

गेहूं की इस नस्ल की खोज गेहूं वैज्ञानिक डा. रामधम सिंह ने की थी। यह दिखने में लंबी होती है और इसमें पोषक तत्वों की संख्या सामान्य से अधिक होती है। इस किस्म से औसतन 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार होती है। एचएयू ने आर्गेनिक तरीके से उगाया तो 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है।

सामान्य गेहूं से दुगनी कीमत है इस गेहूं की

एचएयू के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने बताया कि सामान्य गेहूं का रेट 1925 रुपये प्रति क्विंटल है, मगर विवि द्वारा इस आर्गेनिक तरीके से उगाई गई गेहूं की किस्म की कीमत 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल है। इसकी कीमत से आर्गेनिक गेहूं की किस्म की महत्ता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो जहरमुक्त हों और इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने को वह तैयार हैं। इस गेहूं को उगाने के लिए किसी रसायन या दवा का प्रयोग तक नहीं किया गया है। शुरुआत में विवि ने इसे अपने स्टाफ को ही चयनित मात्रा में वितरित किया है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक ट्रिब्यून	26.05.2020	03	01-04

लोगों को मिलेंगे शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद

हकृवि में स्थापित होगी हरियाणा की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

नरेंद्र ख्यालिया/निस
हिसार, 25 मई

प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगी। एजेंसी एक सोसायटी के रूप में कार्य करेगी, जिसका पंजीकरण करवा लिया गया है और इसे होका के नाम से जाना जाएगा। जिसके पदेन अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। होका को केंद्र से मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। होका की स्थापना से जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। पहले प्रदेश के किसानों को प्रमाणीकरण के अभाव में जैविक उत्पादों के दाम बहुत कम मिलते थे।

होका की स्थापना के बाद हरियाणा के पास अपनी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी होगी, जिससे किसानों को किसी थर्ड पार्टी या फिर दूसरे राज्यों की एजेंसियों पर प्रमाणीकरण के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके पदेन अध्यक्ष विश्वविद्यालय के वीसी व सचिव दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के नियंत्रण अधिकारी होंगे। होका की स्थापना के बाद हकृवि की प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जैविक खेतों और प्रक्रियाओं का प्रमाणन, आमजन के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। जैविक खेतों व जैविक उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण, जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैविक किसानों व उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करना व उनकी क्षमता का निर्माण करना, स्वस्थ, शुद्ध और पौष्टिक खाद्य उत्पादन तक आम जन की पहुंच करना उद्देश्य होगा।

किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी के बारे में कुलपति प्रो. केपी सिंह ने सबसे पहले प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। होका को स्थापित करने की मान्यता देना जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अमर उजाला	26.05.2020	01	02-08

एचएयू : किसानों के जैविक उत्पाद होंगे प्रमाणित, बन रही प्रदेश की पहली एजेंसी

अमर उजाला ब्यूरो

हिसार। प्रदेश के किसानों को अब जैविक खेती या उत्पाद को सर्टिफाई करवाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश को पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति दी है।

केपी सिंह।

यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी और किसान यहां से अपनी जैविक खेती और जैविक उत्पाद को प्रमाणित (सर्टिफिकेशन) करवा सकेंगे। एचएयू के कुलपति प्रो. केपी सिंह ने सोमवार को पत्रकारवार्ता के दौरान यह जानकारी दी।

अगले महीने शुरू हो सकती है सर्टिफिकेशन की सेवाएं न्यूनतम होगी लागत

सोसायटी के रूप में हुआ पंजीकरण, कुलपति होंगे अध्यक्ष : एचएयू ने हरियाणा पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है।

एचएयू के कुलपति सोसाइटी के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के नियंत्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। विवि ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों को बेचने व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी। हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगे।

ये होंगे सर्टिफिकेशन एजेंसी के उद्देश्य

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेतों और प्रक्रियाओं का प्रमाणन। आमजन के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेतों व जैविक उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण। जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैविक किसानों व उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करना व उनकी क्षमता का निर्माण करना। स्वस्थ, शुद्ध और पौष्टिक खाद्य उत्पादन तक आम जन की पहुंच करना। उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हों और स्थायी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलने के अलावा उनका शोधन, सत्यापन और संवर्धन करना। जैविक बीज से लेकर जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करना।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रमाणिकता से बेच सकेंगे उत्पाद

अब कम खर्च में जैविक उत्पादों की लागत बढ़ाने और पारदर्शिता से प्रमाणन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अपने उत्पादों को घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमाणन के साथ बेच सकेंगे।

किसानों को नहीं देनी होगी अधिक फीस

: प्रदेश में सरकारी जैविक प्रमाणीकरण संस्था न होने के कारण प्रदेश के किसानों को अपने जैविक उत्पादों का परीक्षण करवाने के लिए बहुत अधिक फीस निजी संस्था को देनी पड़ती थी, जिसके चलते प्रदेश के किसान प्रमाणीकरण प्रक्रिया में रुचि कम लेते थे। अब बहुत कम लागत में जैविक फसलों का सर्टिफिकेशन होगा।

उचित मूल्य पर बिकेंगे ऑर्गेनिक उत्पाद

हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी नहीं थी। इसलिए किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं और अन्य राज्यों की एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में प्रदेश के किसान अपने जैविक उत्पाद का परीक्षण नहीं करवा पाते थे और जैविक उत्पाद भी सामान्य उत्पाद की तरह कम मूल्य में बेचना पड़ता था। अब इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल पाएगा और वे अपने जैविक उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पाएंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	26.05.2020	04	01-06

हकृवि में स्थापित की जाएगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी

हिसार, 25 मई (ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान की है। यह एजैंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी।

ज्ञात रहे कि इससे पहले हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजैंसी नहीं थी इसलिए किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं तथा अन्य राज्यों की एजैंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था जिसके कारण प्रदेश के कई किसान अपने जैविक उत्पाद का परीक्षण नहीं करवा पाते थे।

पत्रकारवार्ता करते कुलपति प्रो. के.पी. सिंह। (नारंग)

जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र न होने के कारण उन्हें अपना जैविक उत्पाद सामान्य श्रेणी के उत्पाद के अनुसार कम मूल्य में बेचना पड़ता था। यह जानकारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर के.पी. सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारवार्ता में दी।

हकृवि का आर्गेनिक फार्म।

उन्होंने बताया कि यह सोसायटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी। विश्वविद्यालय ने हरियाणा पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 (हरियाणा अधिनियम संख्या नं. 1, 2012) के तहत होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है। उन्होंने बताया कि विवि. के कुलपति सोसायटी के पदेन अध्यक्ष/ अध्यक्ष तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के नियन्त्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे।

कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलवाने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी।

हकृवि का गेहूं 4,000 प्रति रुपए क्विंटल बिका

जैविक खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका उदाहरण हकृवि द्वारा अपने फार्म में बोया 306 किस्म का गेहूं है। विश्वविद्यालय ने करीब 6 एकड़ में इस किस्म का गेहूं बोया जो बाजार मूल्य से दोगुने दामों पर करीब 4,000 प्रति रुपए क्विंटल बिका। कुलपति ने बताया कि आने वाले समय में किसान जैविक खेती कर अपनी आमदनी कई गुणा बढ़ा सकते हैं। अब हकृवि के आर्गेनिक फार्म पर फल-सब्जियां भी हैं। फल-सब्जियां खरीदने के लिए कई होटल संचालक सम्पर्क बनाए हुए हैं।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हरि भूमि	26.05.2020	02	02-08

हकृवि में खुलेगी प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हिसार

प्रदेश सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय को मंजूरी दी

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें भी करेंगे तैयार: कुलपति

प्रदेश सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी। यह सोसायटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी।

मान्यता दिलाने की तैयारी

हकृवि के कुलपति सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष / अध्यक्ष तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के निबन्त्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी। जल्द ही केंद्र ने मान्यता मिल जाएगी

हिसार। पत्रकारों को जानकारी देते हकृवि कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह।

किसानों को मिलेगा फायदा: हकृवि कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने सोमवार को एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर में पत्रकार सम्मेलन में बताया कि विश्वविद्यालय ने हरियाणा पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 (हरियाणा अधिनियम संख्या नं. 1, 2012) के तहत होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा।

पहले थर्ड पार्टी पर निर्भर थे

इससे पहले हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी नहीं थी। इसलिए किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं तथा अन्य राज्यों की एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण प्रदेश के कई किसान अपने जैविक उत्पाद का परीक्षण नही करवा पाते थे व जैविक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र न होने के कारण उन्हें अपना जैविक उत्पाद सामान्य श्रेणी के उत्पाद के अनुसार कम मूल्य में बेचना पड़ता था। अब इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल पाएगा और वे अपने जैविक उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पाएंगे, साथ ही राज्य के नागरिकों को शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद प्राप्त होंगे और उनका विश्वास प्रदेश के किसानों में बढ़ेगा।

प्रो. केपी सिंह ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र पर उत्पादित जैविक उत्पादों का प्रतिदिन विक्रय हो जाता है। इस बात से यह पता चलता है कि जैविक उत्पादों के लिए एक आम ग्राहक भी आवश्यकता अनुभव करता है। इसलिए हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी के स्थापित होने पर जैविक खाद्यान का उत्पादन संभव हो सकेगा और किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फसलों की सिफारिशें भी तैयार करेगा जिसके लिए अन्य राज्यों द्वारा जैविक फसल सिफारिशों का अवलोकन कर हरियाणा प्रदेश के लिए समग्र जैविक फसल सिफारिशों को किसानों के लिए लागू करेगा। इस तरह जैविक खेती में आ रही विभिन्न समस्याओं, जैसे बीमारी, कीट, इत्यादि का प्रकोप होने पर का निवारण हो सकेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
बीडब्ल्यूएन	26.05.2020	02	01-04

हिसार के हकृवि में स्थापित होगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

[illegible]

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार–पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
नभ छोर	25.05.2020	01	01-04

हकृवि में स्थापित होगी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार–पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सिटी पल्स	25.05.2020	01	01-04

महत्वपूर्ण कदम एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र मिलकर करेंगे काम

एचएयू में स्थापित की जाएगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

सिटी पल्स न्यूज, हिसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रो. के.पी. सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। इससे पहले हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी नहीं थी।

हिसार। पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के.पी. सिंह।

कुलपति ने उन्होंने बताया कि किसान जैविक प्रमाणीकरण की दो प्रणाली अपनाते हैं। इसमें पहली प्रणाली स्व-प्रमाणन प्रणाली होती है जो किसानों को फसल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के लिए प्रभावी नहीं करती। दूसरी प्रणाली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, जो ज्यादातर निर्यात के उद्देश्य से अपनायी जाती है। प्रदेश में सरकारी जैविक प्रमाणीकरण संस्था न होने के कारण प्रदेश के किसानों को अपने जैविक उत्पादों का परीक्षण करवाने के लिए उच्च लागत की फीस निजी संस्था को देनी पड़ती थी जिसके चलते प्रदेश के किसान प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कम रुचि लेते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में स्थापित करने का फैसला लिया है।

विश्वविद्यालय जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फसलों की सिफारिशें भी तैयार करेगा जिसके लिए अन्य राज्यों द्वारा जैविक फसल सिफारिशों का अवलोकन कर हरियाणा प्रदेश के लिए समग्र जैविक फसल सिफारिशों को किसानों के लिए लागू करेगा। इस तरह जैविक खेती में आ रही विभिन्न समस्याओं, जैसे बीमारी, कीट, इत्यादि का प्रकोप होने पर, का निवारण हो सकेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पाठक पक्ष	24.05.2020	03	01-03

एचएयू ने हरियाणा कोरोनो रिलीफ फण्ड में दिए एक करोड़ रूपए

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.पी.सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपा चैक

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 24 मई : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फण्ड में एक करोड़ रूपये दिए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके चण्डीगढ़ स्थित कार्यालय में एक करोड़ रूपए का चैक सौंपा। ज्ञात रहे कि हकृवि के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपने एक महीने के मूल वेतन का दस प्रतिशत हरियाणा कोरोना रिलीफ फण्ड में देने का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में शनिवार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके चण्डीगढ़ स्थित कार्यालय में एक करोड़ रूपये का चैक सौंपा। इसके अलावा हकृवि में जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान जन हितैषी निर्णयानुसार फेक्लटी हाउस में एक आइसोलेसन सेंटर व एक क्वारंटाइन सेंटर किसान

छात्रावास में स्थापित किया गया है। साथ ही समय-समय पर किसानों के हित के लिए फसलों की कटाई व बुआई के लिए कृषि संबंधी विभिन्न एडवाइजरी कोविड-19 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय की विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाली छात्राओं द्वारा कॉलेज में ही निर्मित मास्क कैंपस हॉस्पिटल में सेनेटाइज करवाकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व अन्य जरूरतमंदों को वितरित किए गए। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले प्रत्येक वाहन को गेट नंबर-1 पर सेनेटाइज करवाया जाता है। हैंड सेनेटाइज करने के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्वचालित तरल वितरण प्रणाली भी विकसित की है और इसे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन व कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में लागू किया गया है। उपरोक्त प्रक्रियाएं अभी भी विश्वविद्यालय परिसर में निरंतर जारी हैं।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पाठक पक्ष	25.05.2020	03	01-07

एचएयू में स्थापित होगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 25 मई : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी। यह जानकारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी। विश्वविद्यालय ने हरियाणा पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 (हरियाणा अधिनियम संख्या नं. 1, 2012) के तहत होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष / अध्यक्ष तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के नियन्त्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रो. के.पी. सिंह ने यह सूचना भी दी कि विश्वविद्यालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगें। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। इससे पहले हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी नहीं थी। इसलिए किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं तथा अन्य राज्यों की एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण प्रदेश के कई किसान अपने जैविक उत्पाद का परीक्षण नही करवा पाते थे व जैविक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र न होने के कारण उन्हें अपना जैविक उत्पाद सामान्य श्रेणी के उत्पाद के अनुसार कम मूल्य में बेचना पड़ता था । अब इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल पायेगा और वे अपने जैविक उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पायेगें, साथ ही राज्य के नागरिकों को शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद प्राप्त होगें और उनका विश्वास प्रदेश के किसानों में बढ़ेगा। हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के निम्न उद्देश्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जैविक खेतों और प्रक्रियाओं का प्रमाणन, आमजन के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेतों व जैविक उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण, जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैविक किसानों व उत्पादकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करना व उनकी क्षमता का निर्माण करना, स्वस्थ, शुद्ध और पौष्टिक खाद्य उत्पादन तक आम जन की पहुंच करना, उत्पाद् पर्यावरण के अनुकूल हों और स्थायी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलने के अलावा उनका शोधन, सत्यापन और संवर्धन करना, जैविक बीज से लेकर जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करना है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रो.के.पी. सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में ऐसी एजेंसी को स्थापित करने की मान्यता देना जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि किसान जैविक प्रमाणीकरण की दो प्रणाली अपनाते हैं। इसमें पहली प्रणाली स्व-प्रमाणन प्रणाली (पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम) होती है जो किसानों की फसल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के लिए प्रभावी नहीं करती। दूसरी प्रणाली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, जो ज्यादातर निर्यात के उद्देश्य से अपनायी जाती है। प्रदेश में सरकारी जैविक प्रमाणीकरण संस्था न होने के कारण प्रदेश के किसानों को अपने जैविक उत्पादों का परीक्षण करवाने के लिए उच्च लागत की फीस निजी संस्था को देनी पड़ती थी जिसके चलते प्रदेश के किसान प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कम रूचि लेते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में स्थापित करने का फैसला लिया है। अब किसानों को कम खर्च में जैविक उत्पादकों की लागत प्रभावी बनाने और पारदर्शी तरीके से तीसरे पक्ष का प्रमाणन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अपने उत्पादों को घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमाणन के साथ बेच सकेंगे। प्रो. के.पी. सिंह ने पत्रकारों को बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र पर उत्पादित जैविक उत्पादों का प्रतिदिन विक्रय हो जाता है। इस बात से यह पता चलता है कि जैविक उत्पादों के लिए एक आम ग्राहक भी आवश्यकता अनुभव करता है। इसलिए हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी के स्थापित होने पर जैविक खाद्यान्न का उत्पादन सम्भव हो सकेगा और किसानों को अपना उत्पाद् बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फसलों की सिफारिशें भी तैयार करेगा जिसके लिए अन्य राज्यों द्वारा जैविक फसल सिफारिशों का अवलोकन कर हरियाणा प्रदेश के लिए समग्र जैविक फसल सिफारिशों को किसानों के लिए लागू करेगा। इस तरह जैविक खेती में आ रही विभिन्न समस्याओं, जैसे बीमारी, कीट, इत्यादि का प्रकोप होने पर, का निवारण हो सकेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पल पल	25.05.2020	03	01-04

पल पल
सिरसा, मगंलवार, 26 मई 2020

प्रादेशिक

एचएयू में स्थापित होगी सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

पल पल न्यूज: हिसार, 25 मई। आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर में पत्रकारों को जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी। यह जानकारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी। विश्वविद्यालय ने हरियाणा पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 (हरियाणा अधिनियम संख्या नं. 1, 2012) के तहत होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष / अध्यक्ष तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के नियन्त्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रो. के.पी. सिंह ने यह सूचना भी दी कि विश्वविद्यालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। इससे पहले हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी नहीं थी। इसलिए किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं तथा अन्य राज्यों की एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण प्रदेश के कई किसान अपने जैविक उत्पाद का परीक्षण नहीं करवा पाते थे व जैविक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र न होने के कारण उन्हें अपना जैविक उत्पाद सामान्य श्रेणी के उत्पाद के अनुसार कम मूल्य में बेचना पड़ता था। अब इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल पायेगा और वे अपने जैविक उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पायेंगे, साथ ही राज्य के नागरिकों को शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद प्राप्त होंगे और उनका विश्वास प्रदेश के किसानों में बढ़ेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दीनबन्धु (प्रादेशिकी)	26.05.2020	08	02-04

हिसार के हकृवि में में स्थापित होगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

हिसार, 25 मई (देशबन्धु)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (होका) के रूप में जानी जाएगी। यह जानकारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी। विश्वविद्यालय ने हरियाणा पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2012 (हरियाणा अधिनियम संख्या नं. 1, 2012) के तहत होका का सोसायटी के रूप में पंजीकरण करवा लिया है। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति सोसाइटी के पदेन

अध्यक्ष / अध्यक्ष तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र के नियन्त्रण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रो. के.पी. सिंह ने यह सूचना भी दी कि विश्वविद्यालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद् निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से होका को मान्यता दिलाने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केन्द्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगें। विश्वविद्यालय अपनी प्रयोगशालाओं को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ परीक्षण सेवाओं को भी बढ़ावा देगा। इससे पहले हरियाणा राज्य में कोई भी सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी नहीं थी। इसलिए किसानों को थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण निजी प्रयोगशालाओं तथा अन्य राज्यों की एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण प्रदेश के कई किसान अपने जैविक उत्पाद् का परीक्षण नही करवा पाते थे व जैविक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र न होने के कारण उन्हें अपना जैविक उत्पाद् सामान्य श्रेणी के उत्पाद् के अनुसार कम मूल्य में बेचना पड़ता था। अब इस संस्था के स्थापित होने पर प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पाद् प्रमाणीकरण से जुड़ी सभी जानकारियों का समय पर पता चल पायेगा और वे अपने जैविक उत्पाद् को उचित मूल्य पर बेच पायेगें, साथ ही राज्य के नागरिकों को शुद्ध जैविक खाद्य उत्पाद् प्राप्त होगें और उनका विश्वास प्रदेश के किसानों में बढ़ेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार–पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
Hindustan Times (Online)	**26.05.2020**	**---**	**---**

Haryana govt to set up organic certification agency at agri varsity

The V-C said the state government and the university are making efforts to promote organic farming in Haryana.

CITIES Updated: May 25, 2020 19:05 IST

HT Correspondent
Hindustan Times, Hisar

The state government will be setting up the Haryana Organic Certification Agency (HOCA) at Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University(CCSHAU) in Hisar to help organic farmers get their produce certified in the state, vice-chancellor KP Singh said on Monday.

While addressing a press conference, the V-C said the state government and the university are making efforts to promote organic farming in Haryana. "However, due to absence of an organic certification in the state, growers were forced to get their farms and produce certified from agencies outside," he said.

"The process is lengthy and costly. It is for the first time that the Haryana government has approved the proposal by CCSHAU to setup a government-aided organic certification agency. With HOCA, there will be no hurdle in marketing and export of organic produce from Haryana as the agency will also be equipped with a sophisticated testing laboratory for pesticide residue and nutritional testing," Singh said.

The university has got the society registration under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 and the V-C

Haryana govt to set up organic certification agency at agri varsity
14,649 migrants leave Karnataka in 10 special trains
Himachal government authorises district magistrates to extend
UP: FIR against Alka Lamba for indecent remarks against CM Yogi Adityanath
UP government releases 2,257 convicts on parole

higher cost. "The HOCA will help organic growers of Haryana obtain the third party certification in a cost effective and transparent manner that will enable them to sell their produce with certification mark in domestic as well as international market," the V-C said.

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
ऑनलाइन (जीवन आधार)	25.05.2020	---	---

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में स्थापित होगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी

SHARE 0

हिसार,

[illegible]

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार-पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
ऑनलाइन (यूनिक हरियाणा)	**25.05.2020**	---	---

H.A.U हिसार में स्थापित होगी प्रदेश की पहली सरकारी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी